छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांक 60 (App.)/ II-13-1/2025 (Pt.-III) बिलासपुर, दिनांकः 29 जुलाई, 2025

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं आचरण) नियम 2017 के नियम–11 (1) के अंतर्गत इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर निम्नलिखित आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी) को **हॉस्टल अटेन्डेन्ट (सी.एस.जे.ए.)** के पद पर वेतन मैट्रिक्स के **लेवल–1** (15600-49400) पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से **3 वर्ष की परिवीक्षा पर** निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त किया जाता हैः–

स. क्र.	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का नाम / पिता का नाम
1.	Shri Himanshu, S/o Shri Sanju Kumar
2.	Shri Nohar Singh, S/o Shri Dhan Singh

1. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हे परिवीक्षा पर माना जायेगा।
2. यदि वे स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना रजिस्ट्री को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हे सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हे नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
3. वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगें।
4. वे बिना पूर्व अनुमति के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे, और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सम्मिलित होगें, यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. उन्हें कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करना होगा।
6. उपरोक्त कर्मचारियों की वरीयता आज तक इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर नियुक्त भृत्य संवर्गीय पदों के सबसे अंतिम स्थान पर होगी और उनकी विभागीय वरीयता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नहीं अपितु उपरोक्त सूची में दर्शित क्रम से शासित होगी।
7. यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं आचरण) नियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

सही/–
(मनीष कुमार ठाकुर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठां. क्रमांक 14093 /
II-13-1/2025 (Pt-III)

बिलासपुर, दिनांकः 24 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
2. रजिस्ट्रार (विजि./आई. एण्ड ई./न्यायिक/एस. एण्ड ए. सेल), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
3. डायरेक्टर (सी.एस.जे.ए.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
4. रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन)–सह–सी.पी.सी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
5. एडिशनल रजिस्ट्रार (डी.ई./न्यायिक/प्रशा.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
6. बजट अधिकारी/लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
7. डिप्टी रजिस्ट्रार (स्थापना), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
8. सहायक रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)/कोर्ट ऑफिसर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
9. सहायक रजिस्ट्रार (कैश), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
10. अनुभाग अधिकारी (लेखा), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
11. सहायक (लेखा/अवकाश/प्रोटोकॉल), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

12. **सर्वसंबंधितों (सारिणी अनुसार सरल क्रमांक 01 से 02 तक)**, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ,

24.7.25

(मनीष कुमार ठाकुर)
रजिस्ट्रार जनरल